

अनुमति की शर्तें ।

- (i) भवन भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी उत्तिमाने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाेल थिडुली कोवल आवासीय प्रयोजनकी
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 62 दिनांक 10/03/2020
श्री +1 श्री लक्ष्मी नारायण बाटरी डा0 श्री मदनलाल जी
अवासीय ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No:- 101-ए दक्षिणी विभाग
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय मयुरिया सेक्टर-03
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- जमा
जरिये रसीद संख्या 9062/3867 3868
दिनांक 10/3/2020 को जमा करा दी है ।

901/31/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर


श्री +1 श्री

13/7/2020

9784326262